



दिनांक 23.05.2025

प्रेस विज्ञप्ति-36 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, द्वारा महाकुम्भ में GRP द्वारा किये गये कार्यों पर बनी फिल्म का किया गया अनावरण

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रयागराज में महाकुम्भ मेला-2025 का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न कराया गया। इस दौरान 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा देश-विदेश के विभिन्न भागों से आकर प्रयागराज में पवित्र स्नान के पश्चात सकुशल गंतव्य को प्रस्थान किया गया।

महाकुम्भ मेला-2025 में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं द्वारा रेल के माध्यम से प्रयागराज आगमन तथा स्नान के पश्चात अपने गंतव्य को प्रस्थान किया गया। महाकुम्भ मेला अवधि में GRP/RPF/रेलवे एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आपसी समन्वय तथा सामूहिक कार्य-योजना बनाकर कार्य किया गया। महाकुम्भ मेला के दौरान जीआरपी उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए कार्यों की एक लघु फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म का आज पुलिस मुख्यालय में श्री प्रशांत कुमार, पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा अनावरण किया गया।

फिल्म के अनावरण के दौरान श्री प्रकाश डी०, अपर पुलिस महानिदेशक, जीआरपी, डॉ० एन. रविंदर, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, डीआईजी जीआरपी प्रयागराज श्री राहुल राज, डीआईजी जीआरपी लखनऊ श्रीमती सुधा सिंह, पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ श्री राहुल मिश्र उपस्थित रहे।

अनावरण के पश्चात पुलिस महानिदेशक उ०प्र० सहित मुख्यालय में नियुक्त सभी वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। महाकुम्भ मेला-2025 के दौरान जीआरपी द्वारा किए गए कार्यों जैसे-भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन कार्य योजना, बहुभाषीय उद्घोषणा, श्रद्धालुओं के साथ मानवीय व्यवहार आदि की सभी के द्वारा सराहना की गई।

इस अवसर पर डीजीपी उ०प्र० द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस उ०प्र० के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं प्रदान की गयी।







दिनांक 23.05.2025

प्रेस विज्ञप्ति 37 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी द्वारा की गयी शिष्टाचार भेंट

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से आज दिनांक 23.05.2025 को पुलिस मुख्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी (ओलंपियन) वंदना कटारिया द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी। शिष्टाचार भेंट के दौरान प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है कि ओलंपियन वंदना कटारिया ने अपने बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी करियर को अलविदा कह दिया, जिसकी शुरुआत हरिद्वार के सलेमपुर के रोशनाबाद में एक साधारण सी जगह से हुई। पुरुष प्रधान सामाजिक मानदंडों से जूझते हुए और सपनों और प्रतिभा से लैस होकर, उन्होंने भारतीय हॉकी टीम में जगह बनाने के लिए अपार चुनौतियों से भरे रास्ते पर डटकर मुकाबला किया। दृढ़ निश्चय के साथ कुशल स्टिकवर्क और सामरिक प्रतिभा ने सुनिश्चित किया कि वह बाधाओं को पार कर सके। वंदना का 15 साल का करियर न केवल उनके लचीलेपन का प्रमाण है, बल्कि खिलाड़ियों की एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी है।

वंदना कटारिया द्वारा वर्ष-2009 में अपने हॉकी करियर में पदार्पण करने के उपरान्त प्रतिभाग किये गये प्रमुख प्रतियोगिताओं का विवरण निम्नवत् है:-

ओलंपिक खेल

- टोक्यो ओलंपिक 2020 – चौथा स्थान
- रियो ओलंपिक 2016 – 12वां स्थान

राष्ट्रमंडल खेल

- राष्ट्रमंडल खेल 2014, ग्लासगो, स्कॉटलैंड – 5वां स्थान
- राष्ट्रमंडल खेल 2018, गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया – चौथा स्थान
- राष्ट्रमंडल खेल 2022, बर्मिंघम, इंग्लैंड – कांस्य पदक

विश्व कप

- विटैलिटी हॉकी महिला विश्व कप 2018, लंदन, इंग्लैंड – 8वां स्थान
- हॉकी महिला विश्व कप स्पेन और नीदरलैंड 2022– 9वां स्थान

एशियाई खेल

- 17वें एशियाई खेल 2014 इंचियोन, कोरिया – कांस्य पदक
- 18वें एशियाई खेल 2018 जकार्ता, इंडोनेशिया – रजत पदक
- एशियाई खेल 2022, हांगजो – कांस्य पदक

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी

- महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चीन 2011 – चौथा स्थान
- महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जापान 2013 – रजत पदक
- महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी सिंगापुर 2016 – स्वर्ण पदक
- महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी डोंगहे 2018 – रजत पदक
- झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 – स्वर्ण पदक

एफआईएच नेशंस कप

- एफआईएच हॉकी महिला राष्ट्र कप स्पेन 2022 – स्वर्ण पदक
- जूनियर विश्व कप
- एर्गो हॉकी जूनियर विश्व कप 2013, मोनचेंग्लाडबैक, जर्मनी – कांस्य पदक
- एफआईएच हॉकी प्रो लीग
- एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2021–22 – कांस्य पदक
- एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2023–24–8वां स्थान

वंदना कटारिया को हॉकी के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दिये गये सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिये निम्न पुरस्कार प्रदत्त किये गये:—

- 2022 में पद्म श्री पुरस्कार
- 2021 में अर्जुन पुरस्कार
- 2021 में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट्स पुरस्कार
- 2021 और 2022 में फॉरवर्ड के लिए हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले पुरस्कार
- 2014 में हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर (महिला) पुरस्कार





दिनांक 23.05.2025

प्रेस विज्ञप्ति 38 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के 27 पी०ए०सी० वाहिनियों में बनाये गये संग्रहालय

मा० मुख्यमंत्री उ०प्र०, श्री योगी आदित्यनाथ जी के मंशानुरूप प्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं आम जनमानस को सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर एक सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु दिन-रात कर्तव्य पालन में लगे उ०प्र० पुलिस के कार्मिकों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के साथ-साथ आवासीय व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं फिटनेस हेतु जिमनेजियम हाल, स्टेडियम आदि तैयार कराने जाने हेतु श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा पी०ए०सी० वाहिनियों, विभिन्न ईकाइयों, प्रशिक्षण केन्द्रों एवं नवनिर्मित पुलिस लाइंस आदि में संग्रहालय, इनडोर जिमनेजियम हाल एवं आउटडोर स्टेडियम आदि बनाये जाने के दिशा-निर्देश दिये गये।

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के 33 पी०ए०सी० वाहिनियों में से 27 पी०ए०सी० वाहिनियों में संग्रहालय निर्मित कराये जा चुके हैं, जिसमें वाहिनियों एवं पुलिस विभाग से सम्बन्धित स्मृतियों, उ०प्र० पुलिस का गौरवशाली इतिहास, वर्दी में होने वाले समय-समय पर परिवर्तन, उपकरण, अस्त्र-शस्त्र, शहीद कार्मिकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के छायाचित्र आदि को संरक्षित किया गया है। इन संग्रहालयों को आमजन भी जाकर देख सकते हैं।

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा शीघ्र ही समस्त पी०ए०सी० वाहिनियों, ईकाइयों, प्रशिक्षण केन्द्रों एवं 07 नई पुलिस लाइंस के साथ ही अन्य समस्त पुलिस लाइंस में परेड ग्राउण्ड, भूमि की उपलब्धता के आधार पर आउटडोर स्टेडियम, इनडोर जिमनेजियम एवं संग्रहालय हाल आदि निर्मित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।



दिनांक 23.05.2025

प्रेस विज्ञप्ति 39 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बाराबंकी/थाना रामनगर

- 15—15 हजार रुपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 10 हजार 400 रुपये नगद
- 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 23.05.2025 को थाना रामनगर व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर केसरीपुर तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तों 1—अचल 2—कुनाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 10 हजार 400 रुपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामनगर पर पंजीकृत लूट के अभियोग में वाँछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अचल निवासी ग्राम ठिठौरा थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर हालपता—जुरौण्डा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

2—कुनाल निवासी पटेलनगर थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर हालपता—चम्तपुर थाना मलवा जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1—लूट के 10 हजार 400 रुपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद हरदोई/थाना सवायजपुर

- 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 23.05.2025 को थाना सवायजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनूप को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोनार पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तार हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सवायजपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनुप निवासी गढिया थाना पटियाली जनपद कासगंज।

जनपद बहराइच/थाना कोतवाली देहात

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- चोरी की घटनाओं का अनावरण

- चोरी के भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण

- 01 लाख 01 हजार 850 रुपये नगद आदि बरामद

दिनांक: 23.05.2025 को थाना कोतवाली देहात व स्वाँट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर त्रिमुहानी घाट के पास से 05 अभियुक्तों 1—आशिक अली 2—तालिब उर्फ बाबू 3—विजय उर्फ मुस्ताक 4—शहबान 5—रंजीत को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण, 01 लाख 01 हजार 850 रुपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से

बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त आशिक अली के विरुद्ध जनपद बहराइच के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—आशिक अली निवासी नूरुद्दीनचक थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।
- 2—तालिब उर्फ बाबू निवासी पल्हरी बाग थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।
- 3—विजय उर्फ मुस्ताक निवासी मंसूरगंज थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।
- 4—शहबान निवासी बंदरियाबाद माधवरेती थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच।
- 5—रंजीत निवासी बंजारी मोड़ थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच।

बरामदगी

- 1—चोरी के भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण।
- 2—01 लाख 01 हजार 850 रुपये नगद आदि।

जनपद मुरादाबाद/थाना गलशहीद

- 09 अभियुक्त गिरफ्तार
- 09 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
 - 59 कारतूस विभिन्न बोर
- कारतूस टिकली 1200 व कारतूस की बुलेट अर्द्धबनी 150
 - अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे
- 88 तमंचे की अर्द्धबनी नाल
- 01 कार आदि बरामद

दिनांक: 23.05.2025 को थाना गलशहीद व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 09 अभियुक्तों 1—अंकित 2—अरुण 3—अंशुमन 4—तुषार 5—जावेद 6—समीर 7—इदरीश 8—जाकिर 9—रिजवान को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 09 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 59 कारतूस विभिन्न बोर, कारतूस टिकली 1200 व कारतूस की बुलेट अर्द्धबनी 150, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे, 88 तमंचे की अर्द्धबनी नाल, 01 कार आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अंकित व जावेद के विरुद्ध जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर आम्स एक्ट आदि के लगभग आधा-आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गलशहीद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अंकित निवासी हिमगिरि कालोनी डबल स्टोरी थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद।
- 2—अरुण निवासी वसन्त विहार कालोनी जनपद मझौला जनपद मुरादाबाद। 3—अंशुमन निवासी ग्राम मछरियां थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।
- 4—तुषार निवासी खुशहालपुर चौराहा गली नं0—1 थाना मझौला जनपद मुरादाबाद।
- 5—जावेद निवासी खोखरान थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद।
- 6—समीर निवासी सीधी सराय पीर का नाला थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद।
- 7—इदरीश निवासी करूला गली नं0—08 थाना कटघर जनपद मुरादाबाद। 8—जाकिर निवासी तारिख नगर थाना मझौला जनपद मुरादाबाद।
- 9—रिजवान निवासी रहमत नगर, करूला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

- 1—09 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।
- 2—59 कारतूस विभिन्न बोर।
- 3—कारतूस टिकली 1200 व कारतूस की बुलेट अर्द्धबनी 150।
- 4—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।
- 5—88 तमंचे की अर्द्धबनी नाल।
- 6—01 कार आदि।

जनपद हरदोई/थाना टडियावां

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 10 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 23.10.2025 को थाना टडियावां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1—अजीत 2—विजय बहादुर 3—कन्हैया 4—सत्यनाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना टडियावां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अजीत निवासी नयागांव थाना टडियावां जनपद हरदोई।
- 2—विजय बहादुर निवासी ग्राम पसनामऊ थाना बिलग्राम जनपद हरदोई।
- 3—कन्हैया निवासी नयागांव थाना टडियावां जनपद हरदोई।
- 4—सत्यनाम निवासी गर्दनपुर कुईया थाना बघौली जनपद हरदोई।

बरामदगी

- 1—चोरी की 10 मोटर साइकिल।
- 2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना औरंगाबाद

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 20 किग्रा कॉपर तार, 47 किग्रा ट्रान्सफार्मर पत्तियां
- घटना में प्रयुक्त कार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 23.05.2025 को थाना औरंगाबाद व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ख्वाजापुर नहर के पास से 05 अभियुक्तों 1—भूरा 2—साबुद्दीन

3-नाजिम 4-अनवर 5-बिलाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 20 किग्रा कॉपर तार, 47 किग्रा ट्रान्सफार्मर पत्तियां, घटना में प्रयुक्त कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त भूरा के विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त साबुद्दीन के विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर, अमरोहा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना औरंगाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-भूरा निवासी सनौता सफीपुर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 2-साबुद्दीन निवासी सराय झाझन थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 3-नाजिम निवासी सराय झाझन थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 4-अनवर निवासी जमाईपुरा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 5-बिलाल निवासी छांसियावाडाथाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

- 1-चोरी के 20 किग्रा कॉपर तार, 47 किग्रा ट्रान्सफार्मर पत्तियां।
- 2-घटना में प्रयुक्त कार।
- 3-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर

● 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 23.05.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कनवाखेडा मोड़ के पास से अभियुक्त राजीव कुमार उर्फ राजू को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद सीतापुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजीव कुमार उर्फ राजू निवासी मोहल्ला बैजनाथ कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—चोरी की 07 मोटर साइकिल।

- जनपद आजमगढ़/थाना मेहनाजपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद आजमगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेहनाजपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद जलौन/थाना कोतवाली उरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद जलौन पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कोतवाली उरई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 55 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद गोण्डा पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त उमेश चन्द्र को 10 वर्ष कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
